

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी सी-स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक एफ.15 (ग)पीडी/ डीएलबी/इ.र.यो./जनरल/20/ 1186

दिनांक: 26/07/22

आदेश

प्रदेश की नगरीय निकायों में इन्दिरा रसोईयों का संचालन किया जा रहा है। इन्दिरा रसोईयों में भोजन करने आने वाले व्यक्तियों को योजना के साथ-साथ अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन्दिरा रसोईयों में प्रतिदिन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र लगाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- नगर निकाय इन्दिरा रसोईयों में स्टैंडिंग न्यूज पेपर स्टैंड (Standing News Paper Stand) उपलब्ध कराएंगे
- रसोई संचालक संस्था द्वारा नगर निकाय की अनुमति लेते हुए इन्दिरा रसोईयों में प्रतिदिन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र लगाएंगे जिनके भुगतान हेतु रसोई संचालकों को सम्बन्धित माह के राजकीय अनुदान राशि के ऑनलाईन जनरेट इनवॉइस के साथ 300/- रुपये प्रतिमाह जोड़े जाएंगे।
- नगरीय निकायों द्वारा रसोईयों में समाचार पत्र के अलावा DIPR/जिला प्रशासन से समन्वय कर जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित पठन-अध्ययन सामग्री भी रखवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राज्य स्तरीय दोनों समाचार पत्रों पर प्रतिदिन इन्दिरा रसोई योजना की मोहर लगाई जायेगी तथा समाचार पत्र रसोई से बाहर नहीं ले जाएंगे।
- समाचार पत्र दिनांकवार इन्दिरा रसोईयों में संभाल कर रखे जायेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 01.08.2022 से लागू होगा।


(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ.15 (ग)पीडी/ डीएलबी/इ.र.यो./जनरल/20/ 1187-95

दिनांक: 26.07.22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इ.र.यो.) समस्त राजस्थान।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त नगर निगम/नगर परिषद एवं पदेन सचिव, जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इ.र.यो.) समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी नगर निकाय समस्त।
7. श्रीमती अपूर्वा शर्मा, सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रसोई संचालक इन्दिरा रसोई योजना समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।


(नरेश कुमार गौयल)
स्टेट नोडल अधिकारी